बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषयः— किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को थर्ड जेन्डर के रूप में घोषित करने एवं बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची—2) के क्रमांक—47 पर किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को स्वतंत्र रूप से शामिल करने के संबंध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) नं0—400/2012 नेशलन लिगल सर्विस ऑथोरिटी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य तथा रिट पिटिशन (सिविल) नं0—604/2013 में दिनांक—15.04.2014 को पारित न्यायादेश के आलोक में ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को थर्ड जेन्डर के रूप मान्यता देना है तथा उन्हें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा घोषित करते हुए शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन एवं सरकारी सेवाओं में नियुक्ति में आरक्षण दिया जाना है।

(2) राज्य सरकार ने बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग का गठन किया है। बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा—9 (1) (क) के अनुसार आयोग सूची में पिछड़े वर्गों के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने के लिए किये गये अनुरोध की जाँच करेगा और पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची—2) में किसी पिछड़े वर्ग के अति समावेशन या अल्प समावेशन से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा एवं राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे, जबकि बिहार अधिनियम 12, 1993 की धारा—9 (1) (ग) के अनुसार समय—समय पर सरकार के द्वारा आयोग को सौंपे गये अन्य कार्यो का निष्पादन भी आयोग द्वारा किया जायेगा। उक्त अधिनियम की धारा—9 (2) के अनुसार आयोग की राय मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी।

(3) सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक—10272 दिनांक—25.07.2014 द्वारा ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को बिहार राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची—2) में शामिल करने के विषय पर आयोग का विधिवत् परामर्श उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

(4) पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार द्वारा निम्नांकित परामर्श दिया गया है :—

(i) प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी अपने स्तर से जाँचोपरान्त संतुष्ट होकर किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ट्रांसजेन्डर समुदाय का सदस्य होने का प्रमाण-पत्र निर्गत करेंगे।

(ii) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से सभी शैक्षणिक संस्थानों/निगमों/बोर्डो सभी सरकारी पदाधिकारियों को इस आशय का निर्देश जारी किया जाय कि किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ ट्रांसजेन्डर समुदाय को राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं सरकारी सेवाओं में आरक्षण की सारी सुविधाएँ प्रदान की जाय, जो पिछड़े वर्ग (अनुसूची—2) के नागरिकों को देय है।

sec-11 santekh

(5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विवेचित न्यायादेश एवं पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग की उपर्युक्त सलाह के आलोक में भली भाँति विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :–

(क) किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ ट्रांसजेन्डर व्यक्तियों को थर्ड जेन्डर के रूप में घोषित किया जाय।

(ख) बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक–47 पर किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) को स्वतंत्र रूप से शामिल किया जाय।

उक्त समावेशन के फलस्वरूप किन्नर/कोथी/हिजड़ा/ ट्रांसजेन्डर (थर्ड जेन्डर) व्यक्तियों को राज्य सरकार की सेवाओं, जिला पर्षद, नगरपालिका, अर्द्धसरकारी सेवाओं, विश्वविद्यालयों एवं लोक उपक्रमों की सेवाओं में पिछड़े वर्गों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में भी देय आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना/अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(राजेन्द्र राम) 12.9.2014

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11/आ0नी0 I–02/2014 सा0प्र0 12722 पटना–15, दिनांक– 12.9.14

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

12.9.2014

सरकार के अपर सचिव।

sec .1 santekh

ज्ञापांक–11/आ०नी० I–02/2014 सा०प्र० 12722 पटना–15, दिनांक– 12·9·14

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार बिधान सभा, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों/आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

12.9.2014

सरकार के अवर सचिव।

sec-11 sanlekh